अपील सूचना अधिकार संख्या 131/2020 (RCMS 2020/00223) हिमांशु पुत्र किशन लाल निवासी वार्ड नं. 06, गावं 2 एसटीआर, महताब कॉलोनी, तहसील घड़साना–335707 (मोबाईल नम्बर 78928–99043) बनाम उपखण्ड अधिकारी, घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.01.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हिमांशु स्वयं उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2020 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके 08 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। राज्य लोक सूचना अधिकारी ने अपने ऑन लाईन पत्रांक 1310442011 दिनांक 18.08.2020 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को स्थानान्तरित कर दिया एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने भी अपने पत्रांक एफ12(11)( )राजस्व (आरटीआई)/2020/2095 दिनांक 19.08.2020 से प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को स्थानान्तरित कर दिया किन्तु लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने उसे निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से शीघ्र निःशुल्क सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री हिमांशु ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:36:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1. How many registration or allotment was done from 2004 to till today to encroachers on basise of encroachers on basise of encoachment by People an thier application for allotment in Commercial market nai mandi gharsana, provide thier name list and mobile number and address which commercial plot was allotted to them that list.
2. What procedure was followed by mandi vikas samiti for allotment of plot to encroachers in commercial market nai mandi gharsana
3. How many plot are lying vacant in commercial market in nai mandi gharsana provide vacant plot list with map which show vacant places.
4. How many nai mandi gharsana commercial plot has been encroached by encroachers which are lying vacant…give thier list
5. What action is taken by your office on encroachers who has encroached vacant commercial market plot. provide action report.
6. If no action was taken then what stop you from taking action against them … in thier any order from your senior.. If yes please provide copy of order.
7. What is the reason instead of auction procedure your office is following back entry procedure. Instead of Auction you are given allotment to encroachers… is there any order from your senior or officer which is stopping your office to do auction allotment to encroachers.. is there any order from your senior or officer which is stopping your office to do auction procedure. provide copy of that order.
8. what documents are required for allotment to encroachers in new mandi.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:36:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि इस न्यायालय के पत्रांक सीजी/वाचक/20/1397 दिनांक 21.10.2020 से उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से अपील पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी एवं सम्बन्धित रिकॉर्ड चाहा गया था, परन्तु उनके द्वारा उक्त अपील का न कोई जवाब प्रेषित किया गया और न ही आवेदक के प्रार्थना पत्र दिनांक 16.08.2020 द्वारा चाही गई सूचनाओं पर कोई उत्तर दिया। इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:36:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि उक्त धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:36:59 IST
Reason: SelfAttested